प्रेस नोट–**217 / 2026**
दिनांक **21.04.2026**

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 21.04.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई** द्वारा श्री अमरनाथ निवासी ग्राम दैदपुरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर से अरूण पेस्टीसाईड से लिए गए नमुनों की जांच कर, नमूनो की रिपोर्ट में फेरबदल न कर सही रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यालय उप कृषि निदेशक के परिसर से **टैक्निकल सहायक ग्रुप सी अरूण कुमार (कार्यालय उप कृषि निदेशक सहारनपुर)** पुत्र लहरी सिंह निवासी गली नं0-1 नई शिव कॉलोनी जैन बाग देहरादून रोड फतेहपुर भादो छुटमलपुर सहारनपुर को **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–218/2026

दिनांक 21.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/जीआरपी अनुभाग आगरा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 14 लाख 80 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 05 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 01 आईपैड आदि**
- **चोरी के 08 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 21.04.2026 को थाना जीआरपी आगरा कैंट, आरपीएफ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन आगरा कैंट, ट्रैक के पास बने पार्क के अन्दर पेड की नीचे से 05 अभियुक्तों 1–बागलाल 2–अजूबा 3–प्रताप 4–प्रीतिपाल 5–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 14 लाख 80 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 05 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 01 आईपैड आदि, चोरी के 08 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना जीआरपी आगरा कैंट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जीआरपी आगरा कैंट पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जीआरपी आगरा कैंट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बागलाल निवासी ग्राम घुसईया तहसील ज्ञानपुर थाना औराई जनपद भदौही।

2–अजूबा निवासी बसई मण्डी थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

3–प्रताप निवासी बसई मण्डी थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

4–प्रीतिपाल निवासी बसई मण्डी थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

5–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 14 लाख 80 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 05 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 01 आईपैड आदि।

2–चोरी के 08 हजार रूपये नगद।

जनपद बस्ती/थाना हरैया

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 57 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 21.04.2026 को थाना हरैया व एंटी थेफ्ट सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भदावल के पास से 02 अभियुक्तों 1–अंकित 2–अमित को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 57 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.04.2026 को थाना हरैया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरैया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हरैया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी ग्राम भदावल कला थाना हर्रैया जनपद बस्ती।

2–अमित निवासी ग्राम भदावल कला थाना हर्रैया जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 57 हजार रूपये नगद।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना पुवायाँ

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के नगद रूपया, 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 20/21.04.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहम्मदी बाईपास पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सौरभ घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अर्पित 3–मौसम उर्फ आशुतोष सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के नगद रूपया, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना पुवायाँ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पुवायाँ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सौरभ के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग एवं अभियुक्त अर्पित के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पुवायाँ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ निवासी हरदयाल कूंचा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

2–अर्पित निवासी ग्राम बड़ागांव थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

3–मौसम उर्फ आशुतोष निवासी ग्राम सिसौरा नकूमपुर कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी।

बरामदगी

1–लूट के नगद रूपया, 01 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

- **जनपद बाराबंकी/थाना असन्द्रा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना असन्द्रा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/376ए,बी भादवि, 5(ड़)/6 पॉक्सो एक्ट व 3(1)द,ध व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामकरन को आजीवन कारावास व 70 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद ललितपुर/थाना पाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना पाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/366ए भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पवन को आजीवन कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त 1–समीर 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना मटौंध (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना मटौंध पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/504 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जगना उर्फ जगन्नाथ को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना को0अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 04–04 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना को0अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सूरज उर्फ विपेन्द्र एवं दो अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कारावास व 04–04 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————